न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 613/2023

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसल नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भादरराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. जिन्द्रपाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. गुडी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. पंकज पुत्र कमला पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 04/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 44/47 की कुल 21.5470 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 139/150 की कुल 1.7700 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नन्दराम खातेदार काश्तकार थे उनकी फौतदगी के बाद वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा है। जिसकी घोषण न्यायालय से करवाकर भादरराम के नाम दर्ज भूमि में भादरराम के साथ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 बहिब दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

प्रतिवादीया संख्या 3 जो की वादी की बहिन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है। प्रतिवादी स0 3 ने अपना समस्त हक हिस्सा [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिका[illegible]र्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 44/47 की कुल 21.5470 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 139/150 की कुल 1.7700 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत ललानाबास दिखनादा द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 44/47 की कुल 21.5470 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 139/150 की कुल 1.7700 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/01/24...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 613/2023

अनवान : –

1. कृष्ण कुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसल नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भादरराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. जिन्द्रपाल पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. गुडी पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. पंकज पुत्र कमला पुत्री भादरराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 613 सन 2023 निर्णय दिनांक 04/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 44/47 की कुल 21.5470 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 139/150 की कुल 1. 7700 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:44:59 IST
Reason: SelfAttested